द0प्र0सं0 की धारा 161 के तहत साक्षी का बयान

जिला- पटना थाना–शास्त्रीनगर प्राथमिकी सं0–358/24, तिथि–05.05.24

घटना की तिथि एवं स्थान–05.05.24 एवं राजवंशी नगर बेली रोड

धारा–407/408/409/120(बी) भा0द0वि0

बयान लेने वाले पदाधिकारी का नाम–पु0अ0नि0 तेज नारायण सिंह

स्थान–शास्त्रीनगर थाना पटना

अभियुक्त का नाम एवं पता– नीतीश कुमार, उम्र–32 वर्ष पे0–स्व0 सियाराम प्रसाद, सा0+थाना–सरवदहा, जिला–गया वर्तमान पता–कछुआरा मोड़ प्रतिभा कॉलोनी, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना ।

मेरा नाम नीतीश कुमार, उम्र–32 वर्ष पे0–स्व0 सियाराम प्रसाद, सा0+थाना–सरवदहा, जिला–गया वर्तमान पता–कछुआरा मोड़ प्रतिभा कॉलोनी, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना हैं। मैं अपना सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्रीनगर थाना पर दरोगा जी के समक्ष दे रहा हूँ। मेरा दोस्ती सिकंदर प्र0 यादवेन्दु, पे0–स्व0 भुट्टो यादव, सा0+पो0–पुसहो, थाना–विथान, जिला–समस्तीपुर वर्तमान आर0पी0एस0 मोड़, जी0एन0एस0 अपार्टमेंट, फ्लैट नं0–602, किराये के मकान थाना–रूपसपुर, जिला–पटना जो नगर परिषद जूनियर इंजीनियर दानापुर में कार्यरत हैं। जिनसे मेरा मुलाकात नगर परिषद दानापुर के कार्यालय में अमित आनंद के साथ मुलाकात हुई। वहीं पर कुछ अपना नीजि कार्य लेकर गया था, बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चा को पास कराता हूँ। बातचीत के कम में सिकंदर प्र0 यादवेन्दु द्वारा बताया कि मेरे पास भी 04–05 लड़का हैं, जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट का तैयारी कर रहा हैं। उसे पास करा देना हैं। इसके बदले अमित आनंद तथा हमने बताया कि 30–32 लाख रूपया लगेगा तो सिकंदर प्र0 यादवेन्दु तैयार हो गए। बताया कि 04 लड़का हम आपको देंगे। इसी बीच नीट का परीक्षा आ गया तथा सिकंदर प्र0 यादवेन्दु द्वारा बताया गया कि चारो लड़का को कब बुलाये तो अमित द्वारा बताया गया कि 04.05.24 के रात्रि में बुलाया गया जहाँ पर नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर सभी बच्चों को उत्तर के साथ पढ़वाया एवं रटवाया जा रहा था। सिकंदर प्र0 यादवेन्दु को पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर सिकंदर प्र0 यादवेन्दु के निशानदेही पर हमलोग भी पकड़े गए। जहाँ पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर सामग्री को पढ़ाया जा रहा था प्रश्न एवं उत्तर को जला हुआ अवशेष भाग को पुलिस द्वारा जप्त किया गया हैं। मैं बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने एवं कदाचार के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना से वर्ष 2024 में जेल गया हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार किया।

यही मेरा बयान हैं । मैं अपना बयान पढ एवं समझ कर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

RO & AC

(तेज नारायण सिंह)
05.05.2024
पुलिस अवर निरीक्षक
शास्त्रीनगर, पटना।